न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 31 / 2019

जगमाल पुत्र श्री मथुरा प्रसाद जाति माली निवासी प्रतापपुरा, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम अशोक कुमार अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 175 / 2018 निर्णय दिनांक 22.5.2019

उपस्थितिः—

1 श्री संजय सैनी, एडवोकेट ——— ——— ———अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट———————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.7.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.5.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम अशोक कुमार मु0नं0 175 / 2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम प्रतापपुरा की भूमि खसरा नंबर 424 रकबा 0.66 हैक्टर में से 0.010 हैक्टर भूमि रास्ते की भूमि बताकर अपीलांट को बेदखली का आदेश दिया है जैसा कि अपीलांट ने जवाब दिया था और साथ में पट्टा एवं सिविल न्यायालय का आदेश भी पेश किया था कि पटवारी ने जो रास्ता बताया है वह अभी रास्ता नहीं रहा है, वहां पर अपीलांट ने पक्का निर्माण कर रखा है, जो उनकी हवेली का भाग है, आगे—पीछे रास्ता किसी गांव में जाता हो लोग परेशान हो ऐसी कोई पटवारी रिपोर्ट नहीं है।

५४

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

पटवारी ने जो रास्ता बताया है वह अपीलांट का चौक है, जिसका पंचायत द्वारा पट्टा भी जारी किया हुआ है तथा सिविल न्यायालय ने उक्त चौक व हवेली को अपीलांट की भूमि मानकर तहसीलदार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द भी किया है कि वह अपीलांट को बेदखल नहीं करे। तहसीलदार ने राजनैतिक दबाव में यह विधि विरूद्ध कार्यवाही की है,जो निरस्त होने योग्य है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में राजकीय भूमि में अतिक्रमण करने की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। उसने रास्ता बंद करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो धारा 91 एल0आर0एक्ट में नहीं अता है। रास्ता खुलवाने के लिये धारा 251 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत प्रावधान हैं। हल्का पटवारी ने खसरा नंबर 424 रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि में 0.010 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण बताया है जो क्यास मात्र है। पटवारी की अतिक्रमण की लंबाई–चौड़ाई की विवेचना करनी चाहिए थी तथा नक्शा भी रिपोर्ट के साथ पेश करना चाहिए था । हल्का पटवारी की अधूरी रिपोर्ट है। अपीलांट को अतिक्रमण बाबत जो नोटिस जारी हुये हैं उसमें बाड़ लगाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा पटवारी रिपोर्ट में मात्र रास्ता बन्द करना बताया है तथा सिविल दावा हुआ उसमें पक्की दीवार बनाने का हवाला आया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के जवाब को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट और सूरजाराम के वारिसान की एक पटटेशुदा हवेली है जिसका पटटा दिनांक 26.03.1991 को 353 गज का पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है । हवेली के उत्तर साईड में ढलान होने के कारण उसमें अपीलांट एवं साझेदारों ने 10 फीट लंबी व 4 फीट ऊंची दीवार जो करीब 50 वर्ष पूर्व में बनाई थी। यहां से आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। हवेली के उत्तर साईड में एक पगडंडी है जिससे अपीलांट एवं उसके परिवार के लोग आते–जाते हैं अन्य का वहां से कोई आना–जाना नहीं रहा है ना ही पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कौन–कौन लोग वहां से जाते हैं, रास्ता किस गांव से किस गांव में जाता है। मौके पर जब कच्चा रास्ता है ही नही तो अपीलांट अपनी चौक में से रास्ता निकालकर देने का मतलब ही नहीं है। एसीजेएम न्यायालय में वादीगण द्वारा दावा प्रस्तुत किया था उसमें सभी वादीगण ने हवेली अपनी सभी की शामलाती होने का उल्लेख किया है जिसमें अपीलांट भी वादी नंबर 3 है। इस प्रकरण में अन्य लोगों को तहसीलदार ने पार्टी नहीं बनाया, जबकि उस हवेली व दीवार पर सभी का शामलाती कब्जा है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.05.2019 को निरस्त किया जावे। अन्य सिद्धि बहक अपीलांट हो दिलवाई जावे।

९४

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम प्रतापपुरा की भूमि खसरा नंबर 424 रकबा 0.66 हैक्टर में से 0.010 हैक्टर भूमि रास्ते की भूमि बताकर अपीलांट को बेदखली का आदेश दिया है जैसा कि अपीलांट ने जवाब दिया था और साथ में पट्टा एवं सिविल न्यायालय का आदेश भी पेश किया था कि पटवारी ने जो रास्ता बताया है वह अभी रास्ता नहीं रहा है, वहां पर अपीलांट ने पक्का निर्माण कर रखा है, जो उनकी हवेली का भाग है, आगे–पीछे रास्ता किसी गांव में जाता हो लोग परेशान हो ऐसी कोई पटवारी रिपोर्ट नहीं है। पटवारी ने जो रास्ता बताया है वह अपीलांट का चौक है, जिसका पंचायत द्वारा पट्टा भी जारी किया हुआ है तथा सिविल न्यायालय ने उक्त चौक व हवेली को अपीलांट की भूमि मानकर तहसीलदार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द भी किया है कि वह अपीलांट को बेदखल नहीं करे। तहसीलदार ने राजनैतिक दबाव में यह विधि विरूद्ध कार्यवाही की है,जो निरस्त होने योग्य है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में राजकीय भूमि में अतिक्रमण करने की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। उसने रास्ता बंद करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो धारा 91 एल0आर0एक्ट में नहीं अता है। रास्ता खुलवाने के लिये धारा 251 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत प्रावधान हैं। हल्का पटवारी ने खसरा नंबर 424 रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि में 0.010 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण बताया है जो क्यास मात्र है। पटवारी की अतिक्रमण की लंबाई–चौड़ाई की विवेचना करनी चाहिए थी तथा नक्शा भी रिपोर्ट के साथ पेश करना चाहिए था । हल्का पटवारी की अधूरी रिपोर्ट है। अपीलांट को अतिक्रमण बाबत जो नोटिस जारी हुये हैं उसमें बाड़ लगाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा पटवारी रिपोर्ट में मात्र रास्ता बन्द करना बताया है तथा सिविल दावा हुआ उसमें पक्की दीवार बनाने का हवाला आया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के जवाब को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट और सूरजाराम के वारिसान की एक पटटेशुदा हवेली है जिसका पटटा दिनांक 26.03.1991 को 353 गज का पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है । हवेली के उत्तर साईड में ढलान होने के कारण उसमें अपीलांट एवं

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

साझेदारों ने 10 फीट लंबी व 4 फीट ऊंची दीवार जो करीब 50 वर्ष पूर्व में बनाई थी। यहां से आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। हवेली के उत्तर साईड में एक पगडंडी है जिससे अपीलांट एवं उसके परिवार के लोग आते–जाते हैं अन्य का वहां से कोई आना–जाना नहीं रहा है ना ही पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कौन–कौन लोग वहां से जाते हैं, रास्ता किस गांव से किस गांव में जाता है। मौके पर जब कच्चा रास्ता है ही नही तो अपीलांट अपनी चौक में से रास्ता निकालकर देने का मतलब ही नहीं है। एसीजेएम न्यायालय में वादीगण द्वारा दावा प्रस्तुत किया था उसमें सभी वादीगण ने हवेली अपनी सभी की शामलाती होने का उल्लेख किया है जिसमें अपीलांट भी वादी नंबर 3 है। इस प्रकरण में अन्य लोगों को तहसीलदार ने पार्टी नहीं बनाया, जबकि उस हवेली व दीवार पर सभी का शामलाती कब्जा है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.05.2019 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 424 किस्म बारानी 3 के रकबा 0.010है प्रचलीत रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपने निर्णय दिनांक 22.5.2019 में हल्का पटवारी गाडराटा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर बेदखली आदेश पारित किया गया है। हल्का पटवारी गाडराटा मौका रिपोर्ट भिन्न–भिन्न प्रस्तुत हुई हैं किसी रिपोर्ट में रास्ता बंद करने का उल्लेख है तो किसी में खोले जाने का । अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश खेतड़ी के निर्णय दिनांक 12.12.2018 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं कथनों के खण्डन में अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। दो लाईन लिखकर निर्णय पारित करने की इतिश्री की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2019 उनवानी सरकार बनाम जगमाल मु0नं0 175/2018 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशें के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रावधानों के अन्तगर्त प्रकरण पुनः दर्ज कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे एवं सिविल न्यायालय खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय आदि की पूर्ण विवेचना करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू